

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या:-11/2022/1130/36-3-2022-01(अधि0)/2005

लखनऊ : दिनांक : 22 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

न्यूनतम मजूदरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) तथा धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-09/2022/233/36-03-2022-01(अधि0)-2005 दिनांक 27 जून, 2022 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजूदरी की न्यूनतम दरें, निम्नानुसार निर्धारित और पुनरीक्षित करती हैं :-

क्रम संख्या	कृषि कार्य का प्रकार	सम्भाग	वयस्क कर्मचारों के लिये मजूदरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें
1	भूमि को जोतना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती उसे उगाना और काटना, कृषि उपज को मंडी के लिये तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिये पहुंचाने का कार्य और सभी आकार के फार्मों में, जिनमें म्यूनिसिपल या कैंटूनमेंट की सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित फार्म भी सम्मिलित हैं, में मशरूम की खेती सहित कृषि कार्यों के आनुषंगिक रूप में या उनके साथ-साथ की जाने वाली कोई क्रियाएं।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश	रुपये 5538/- प्रतिमाह या रुपये 213/- प्रतिदिन

07

23/9/22

1244

अपर समाप्त (उपरी)



डि० 23.9.2022

उप समाप्त (उपरी)



23-9-22

सुन्दर प्रसाद सिंह
जका कमायुण्ड, उ०००

A.O (युआर)

M. N. Singh

23.9.2022
k
dlu

2	वन संबंधी या काष्ठ उपकरण सम्बन्धी क्रिया, जो कृषि कार्यों के साथ साथ की जाती है।		
3	दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और उनकी आनुषंगिक क्रियाएं।		

- 2- न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से जिसमें अंशतः नकद या अंशतः जिन्स में, इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य, किसी भी दशा में विहित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो।
- 3- मजदूरी की प्रति घंटा दरें, दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम न होगी।
- 4- किशोरों और बालकों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, किसी वयस्क कर्मचारी को अनुमन्य कालानुपाती दर से कम न होगी।
- 5- किसी भी रूप में मजदूरी की दरें, किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू न होंगी अर्थात् यदि इस अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और इन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जाएगा।

आज्ञा से,


सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-11/2022/1130(1)/36-3-2022 तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 22-सितम्बर, 2022 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियाँ श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ एवं 250 प्रतियाँ श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर पत्र पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


- 2- श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० । (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)
- 4- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/निदेशक दूरदर्शन तथा निदेशक आकाशवाणी को जनसाधारण के प्रचार-प्रसार हेतु ।
- 5- गार्ड फाइल ।

भाजा से,

 (राजेंद्र सिंह)
 विशेष सचिव।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड कानपुर।
 संख्या 936-46 /प्रवर्तन -(क०नियो०)/15 दिनांक 26/09/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों,सेवायोजक व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मोंगे जाने पर उपलब्ध कराये।
- 3 विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-3 बापू भवन लखनऊ को उक्त अधिसूचना सं० 11/2022/1130/36-3-2022-01 (अधि०) /2005 दिनांक:22 सितम्बर 2022 के कम में।
- 4 सहायक निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेजसेल)/भारत सरकार नई दिल्ली को ईमेल के माध्यम से।
- 5 अधिशाषी अभियन्ता, निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 6 अपर श्रम आयुक्त(नजारत)को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 7 अपर श्रम आयुक्त (आई०आर०), मुख्यालय।
- 8 अपर श्रम आयुक्त, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं सहायक, निदेशक भारत सरकार को ई०मेल के माध्यम से प्रेषित कराने का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए एवं उप श्रमायुक्त(पुस्तकालय)को सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 9 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।
- 10 निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
- 11 कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।


 26.9.2022

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।